न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
140/2023	05.08.2019	28.02.2024

उनवान

1. श्रीमती नानी बाई पत्नी स्व0 श्री सोहन जी बैरवा (चमार) आयु 60 वर्ष निवासी शिवाजीनगर, दादीधाम मन्दिर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री सोहन जी बैरवा (चमार) आयु 35 वर्ष निवासी शिवाजीनगर, दादीधाम मन्दिर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजू पुत्र स्व0 श्री सोहन जी बैरवा(चमार) आयु 28 वर्ष निवासी शिवाजीनगर, दादीधाम मन्दिर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राधा पुत्री स्व0 श्री सोहन जी बैरवा (चमार) आयु 40 वर्ष निवासी शिवाजीनगर, दादीधाम मन्दिर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सुन्दर पुत्री स्व0 श्री सोहन जी बैरवा (चमार) आयु 30 वर्ष निवासी शिवाजीनगर, दादीधाम मन्दिर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
प्यार पुत्र स्व0 श्री रामा बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
गोपाल पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा(चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
तुलसीराम पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा(चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
प्रभु लाल पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
किशन पुत्र स्व0 श्री रामा बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
उगमचन्द पुत्र स्व0 श्री रामा बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
कमला बाई पुत्री स्व0 श्री रामा बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी बाबा रामदेव मन्दिर, कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

त:– अधिवक्ता प्रार्थीगण अमित कोठारी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण कुन्दन लाल शर्मा

र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—: **निर्णय** :—

दिनांक 28.02.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम की खातेदारी
धिकार की कृषि भुमि ग्राम भीलवाड़ा पटवार हल्का भीलवाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र
ीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः— क्रमशः
601, 2602, 3520/2599 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9990 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता
ो संयुक्त खातेदारी मोहन पुत्र गिरधारी चमार 1/2 एवं रामा पुत्र गिरधारी चमार 1/2 दर्ज
ार्ड है। राजस्व रेकार्ड प्रार्थीया संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 से लगायत 05 के
ता सोहन पुत्र गिरधार चमार व उनके भाई रामा पुत्र गिरधारी चमार के नाम पर जमाबन्दी
्वत 2033 से 2036 में दर्ज रेकार्ड थी। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2039— 2042 में
मा, मोहन पिता गिरधारी चमार दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत
72—2075 में भी उपरोक्त आराजियात रामा, मोहन पिता गिरधारी चमार के नाम दर्ज रेकार्ड
दी गई। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 में भी रामा, मोहन पिता गिरधारी
ार दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2033—2036 में दर्ज नाम
ा, सोहन पिता गिरधारी चमार के बजाय रामा मोहन पिता गिरधारी चमार त्रुटिपुर्ण ईन्द्राज
दिया गया है। जिसे दुरस्त कराये जाने की प्रार्थना की गई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना
के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2033—2036, एवं जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042,
ाबन्दी सम्वत 2072—2075, जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078, भु–प्रबन्ध विभाग का मिलान
रा, सम्वत् 2025 का प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का प्रकरण पंजीबंद किया जाकर विपक्षीगण के सम्मन जारी किए गए।
गण अधिवक्ता के दिनांक 13.07.2022 को उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 09 व धारा 151 जाप्ता
नी का प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना
दिनांक 27.03.2023 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर
ाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में विपक्षीगण अधिवक्ता की ओर से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
ार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में
ा की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में अंकित बिन्दुओं के अनुसार
ा पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति मोहन पुत्र गिरधारी चमार
जाय सोहन पुत्र गिरधारी चमार दुरस्त कराया जाए।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण
वक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड में
ाण के पिता व पति मोहन पुत्र गिरधारी चमार के बजाय सोहन पुत्र गिरधारी चमार
कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में विपक्षीगण के पिता के नाम रामा पुत्र गिरधारी के साथ दर्ज मोहन पुत्र गिरधारी चमार का नाम सोहन पुत्र गिरधारी चमार दर्ज करने में सहमती व्यक्त की है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। ग्राम भीलवाड़ा पटवार हल्का भीलवाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में कृषि भूमि स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:- क्रमशः 2601, 2602, 520/2599 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9990 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता की संयुक्त खातेदारी मोहन पुत्र गिरधारी चमार 1/2 एवं रामा पुत्र गिरधारी चमार 1/2 दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड प्रार्थीया संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 से लगायत 05 के पिता सोहन पुत्र गिरधार चमार व उनके भाई रामा पुत्र गिरधारी चमार के नाम पर जमाबन्दी सम्वत 2033-2036 में दर्ज रेकार्ड थी। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2039- 2042 में रामा, मोहन पिता गिरधारी चमार दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 में भी उपरोक्त आराजियात रामा, मोहन पिता गिरधारी चमार के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में भी रामा, मोहन पिता गिरधारी चमार दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2033-2036 में दर्ज नाम रामा, सोहन पिता गिरधारी चमार के बजाय रामा मोहन पिता गिरधारी चमार त्रुटिपुर्ण ईन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में अंकित आराजी नम्बर 2601, 2602, 2520/2599 कुल किता 03 रकबा 0.9990 हैक्टयर भूमि मोहन पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/2 चमार एवं रामा पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/2 चमार सा.देह खातेदार में मोहन पुत्र गिरधारी चमार के बजाय सोहन पुत्र गिरधारी चमार दुरस्त करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में दुरस्त कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा